रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1971/माघ 3, 1892
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1971/MAGHA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 31st August 1970

S.R.O. 37.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on an application made by the Secretary of the Indian Soldiers' Sailors' and Airmen's Board and the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Scheme settled for the administration of the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen and published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 234, dated the 27th September, 196, namely:—

In the said Scheme set forth in Schedule 'B' to the said notification—

In the proviso to sub-paragraph (i) of paragraph 10,—

(a) the word "and" at the end of clause (b) shall be omitted;

(b) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

(bb) "Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers who have been released or are due to be released from the Armed Forces and who apply for jobs under the Central or State Government Departments or Public Sector Undertakings and are not exempted from payment of application, examination or other fees, will be allowed reimbursement thereof, from the Fund, on production of the relevant receipt for such payment; and"

[File No. 94507/6047/D(A.G.I).]

K. V. RAMANAMURTHI, Dy. Secy.

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1970

का० नि०आ० 37.—पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्ड के और भूतपूर्व सैनिक पुनर्निर्माण और पुनर्वास विशेष निधि के सचिव के आवेदन पर केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष निधि के प्रशासन के लिए तय, तथा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० नि० 234 तारीख 27 सितम्बर, 1966 के साथ प्रकाशित, स्कीम में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची 'ख' में उपवर्णित उक्त स्कीम में—

पैरा 10 के उपपैरा (1) के परन्तुक में,—

(क) खण्ड (ख) के अन्त में का "और" शब्द लुप्त कर दिया जाएगा;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(ख क) "आपात कमीशन्ड और अल्प सेवा कमीशन्ड आफिसरों को, जिन्हें सशस्त्र बल से निर्मोचित किया गया है या निर्मोचित किए जाते हैं और जो केन्द्रीय या राज्य सरकार विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं और जो आवेदन, परीक्षा या अन्य फीस के संदाय से छूट प्राप्त नहीं हैं, ऐसे संदाय की सुसंगत रसीद प्रस्तुत करने पर, निधि से उसकी प्रतिपूर्ति अनुज्ञात की जाएगी; और"

[फा० सं० 94507/6047/डी० (ए०जी०-1]

के० वी० रमनामूर्ति, उप सचिव ।

New Delhi, the 5th January 1971

S.R.O. 38.—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Ahmednagar, hereby imposes, with the previous sanction of the Central Government, a lighting tax on all houses, buildings and lands situated within the limits of Ahemdnagar Cantonment, the annual rental value whereof is rupees three hundred or above, at the rate of 2 per cent per annum of such annual rental value.

[File No. 53/12/C/L&C/70/35-C/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1971

का० नि० आ० 38.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी बोर्ड, अहमदनगर, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अहमदनगर छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित उन सभी मकानों, भवनों और भूमियों पर जिन का वार्षिक भाटक-मूल्य तीन सौ रुपये या उससे अधिक है ऐसे वार्षिक भाटक-मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर, प्रकाश कर अधिरोपित करता है ।

[फा० सं० 53/12/सी०/एल० एण्ड सी०/70/35—सी०/डी० क्यू० एण्ड सी०]

New Delhi, the 7th January 1971

S.R.O. 39.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 19th April, 1971 is the date on which ordinary elections in Jullundur Cantonment shall be held.

[File No. 29/34/C/L&C/66/70-C/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1971

का० नि० आ० 39.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 19 अप्रैल, 1971 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को जालन्धर छावनी में साधारण निर्वचन किए जाएंगे ।

[फा० सं० 29/34/सी० एल० एण्ड सी/66/70-सी/डी०क्यू० एण्ड सी०]

New Delhi, the 8th January 1971

S.R.O. 40.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 11th April, 1971 as the date on which ordinary elections in Agra Cantonment shall be held.

[File No. 29/60/C/L&C/66/72-C/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 8 जनवरी 1971

का०नि०आ० 40—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 11 अप्रैल, 1971, को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को आगरा छावनी में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे ।

[फा० सं० 29/60/सी०/एल० एण्ड सी०/66/72–सी० डी० क्यू० एण्ड सी०]

New Delhi, the 11th January 1971

S.R.O. 41.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Kanpur from the wards noted against each:—

1. Dr. R. K. Jalota—Ward No. I.
2. Shri Chandra Bhushan Dixit (Raja Bhai)—Ward No. II.
3. Shri Ram Mohan Yadav—Ward No. III.
4. Shri Jag Mohan Yadav—Ward No. IV.
5. Shri Deen Dayal Singh—Ward No. V.
6. Shri Nihal Chandra Gupta—Ward No. VI.
7. Shri K. K. Shukla—Ward No. VII.

[File No. 29/74/C/L&C/66/97-C/D(Q&C).]

S. P. MADAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी 1971

का०नि०आ० 41—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 12 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, कानपुर के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने लिखी वार्डों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं:—

1. डाक्टर आर० के० जलोटा–वार्ड नं० I
2. श्री चन्द्रभूषण दिक्षित (राजा भाई) वार्ड नं० II
3. श्री राम मोहन यादव—वार्ड नं० III
4. श्री जगमोहन यादव—वार्ड नं० IV
5. श्री दीन दयाल सिंह—वार्ड नं० V
6. श्री निहाल चन्द्र गुप्ता—वार्ड नं० VI
7. श्री के० के० शुक्ला—वार्ड नं० VII

[फा० नं० 29/74/सी० एल० एण्ड सी०/66/97–सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०]

एस० पी० मदान, अवर सचिव ।

New Delhi, the 11th January 1971

S.R.O. 42.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), read with sub-rule (2) of rule 42 of the National Cadet Corps Rules, 1948, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 22, dated the 3rd January 1969, the Central Government hereby appoints a State Advisory Committee of the National Cadet Corps for the State of Orissa consisting of the following persons, namely:—

1. The Minister of Education, Government of Orissa (Chairman).
2. The Secretary to the Government of Orissa, Eduaction Department.
3. The Vice-Chancellor, Utkal University, Bhubaneswar.
4. The Vice-Chancellor, Berhampur University, Berhampur (Ganjam).
5. The Vice-Chancellor, Sambalpur University, Sambalpur.
6. The Vice-Chancellor, University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar.
7. The Director of Public Instruction (Higher Education), Orissa.
8. The Director of Public Instruction (Schools Education), Orissa.
9. The General Staff Officer-I, H.Q. Orissa-Bihar Independent Sub-Area.
10. Sri S. K. Panda, Principal, B.J.B. College, Bhubaneswar.
11. Sri B. K. Mohanty, Principal, Panchayat College, Baragarh.
12. Sri D. K. Misra, Headmaster, Balasore Zilla School, Balasore.
13. Shri Gopinath Das, Headmaster, M.R. Boys High School, Parlakimedi.
14. The Director, National Cadet Corps, Orissa, Bhubaneswar.
15. Mrs. Sairindri Nayak, Sambalpur.
16. Col. A. K. Mitra, Telenga Bazar, Cuttack.
17. Sri P. C. Ghadei, M.L.A., P.O. Jaipur Road, Cuttack.
18. The Secretary to the Government of Orissa, Finance Department, Cuttack.
19. Sri Brajabandhu Misra, I.P., Inspector General of Police, Orissa.

Sri Nanda Krishna Das, Deputy Director of Public Instruction (Physical Education and National Cadet Corps), Orissa, shall be the Secretary of the Committee.

P. S. RATNAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1971

का०नि०आ० 42.—राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 के नियम पर के उपनियम (2) के साथ पठित राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ०—22, तारीख 3 जनवरी 1969 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उड़ीसा राज्य के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:—

1. शिक्षा मंत्री, उड़ीसा सरकार (अध्यक्ष)
2. सचिव, उड़ीसा सरकार, शिक्षा विभाग
3. कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
4. कुलपति, बरहामपुर, विश्वविद्यालय, बरहामपुर (गंजम)
5. कुलपति, संबलपुर विश्वविद्यालय, संबलपुर
6. कुलपति, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
7. शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उड़ीसा
8. शिक्षा निदेशक (स्कूल शिक्षा), उड़ीसा

9. जनरल स्टाफ आफिसर–5, मुख्यालय उड़ीसा बिहार इंडिपेण्डेण्ट सब-एरिया
10. श्री एस के पांडा, प्रधानाचार्य, बी जे बी कालेज, भुवनेश्वर
11. श्री बी० के० महान्ति, प्रधानाचार्य पंचायत कालेज, बारागढ़
12. श्री डी०के० मिश्र, प्रधानाध्यापक बालासोर जिला स्कूल, बालासोर
13. श्री गोपीनाथ दास, प्रधानाध्यापक एम आर ब्वायज हाई स्कूल, पार्लाकिमेडी
14. निदेशक, नेशनल कैडेड कोर, भुवनेश्वर
15. श्रीमति सैरिध्री नायक, सम्बलपुर
16. कर्नल ए० के० मित्रा, तिलांगा बाजार, कटक
17. श्री पी० सी० घडेयी, एम० एल० ए० पी० ओ० जाजपुर रोड, कटक
18. सचिव, उड़ीसा सरकार, वित्त विभाग, कटक
19. श्री ब्रजबन्धु मिश्र, आई पी, पुलिस महानिरीक्षक, उड़ीसा श्री नन्द कृष्ण दास, उप शिक्षा निदेशक (शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय कैडेट कोर) समिति के सचिव होंगे।

पी० एस० रतनम, अवर सचिव।

New Delhi, the 14th January 1971

S.R.O. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Armed Forces Headquarters Civil Service (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of March, 1968.

2. In the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, in rule 11, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) The selection of persons from among released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers, commissioned in the Armed Forces of the Union after the 1st November, 1/962, for appointment to the Service against the vacancies reserved for them shall be made on the basis of competitive examinations held in accordance with such regulations as the Government may, from time to time, make in consultation with the Commission."

Explanatory Memorandum

The Armed Forces Headquarters Civil Service (Amendment) Rules, 1971

It has become necessary to give retrospective effect to the above amendment for the following reasons.

The AFHQ Civil Service was constituted w.e.f. 1st March, 1968 *vide* the AFHQ Civil Service Rules, 1968. In the Third Schedule to these Rules, it has been provided *inter alia* that reservation of vacancies against the quota reserved for direct recruitment to the grades of Superintendent and Assistant, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and released Emergency Commissioned Officers and Short Service Regular Commissioned Officers shall be in accordance with the rules and orders issued by the Government from time to time.

The selection of persons from among released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers, commissioned in the Armed Forces of the Union after the 1st November, 1962, for appointment to the Service against the vacancies reserved for them is to be made on the basis of competitive examinations held in accordance with such regulations as the Government may, from time to time, make in consultation with the Union Public Service Commission. Accordingly, the procedure for the competitive examinations, referred to above, is being laid down in the Armed Forces Headquarters Civi Slervicc Superintendents' Grade (Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers) (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1971.

which are at present in the formative stage. As the above mentioned Regulations are required to be formulated in pursuance of the provisions of the AFHQ Civil Service Rules, 1968 and no such provisions exist in the said Rules, it is necessary to make provisions to this effect in the AFHQ Civil Service Rules, 1968, from a retrospective date, so that regulations prescribing procedure for the conduct of the competitive examinations for appointment of persons from among released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers, commissioned in the Armed Forces of the Union after the 1st November, 1962, are framed in pursuance thereof.

It is certified that the interests of no one would be prejudicially affected by retrospective amendment of the rules.

[File No. 98831/2/CAO/DPC]

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1971

का०नि०आ० 43.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) ये नियम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये मार्च, 1968 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में नियम 11 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्—

"(3) संघ सशस्त्र बल में 1 नवम्बर 1962 के पश्चात् कमीशन दिये गये निर्मुक्त आपात, कमीशन्ड आफिसरों और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों में से व्यक्तियों का उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर सेवा में नियुक्ति के लिए चयन, ऐसे विनियमों के अनुसार, जैसे सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर बनाए, आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा।"

स्पष्टीकारक ज्ञापन

सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (संशोधन) नियम, 1971

उपरोक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो गया है :—

सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा का गठन सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 के अनुसार 1-3-68 से किया गया था। इन नियमों की तीसरी अनुसूची में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध किया गया था कि अधीक्षक और सहायक की श्रेणियों में सीधे भर्ती के लिए आरक्षित कोटे की रिक्तियों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा निर्मुक्त आपात कमीशन्ड आफिसरों और अल्पकालिक सेवा नियमित कमिशन्ड आफिसरों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार होगा।

संघ सशस्त्र बल में 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् कमीशन दिये गए निर्मुक्त आपात कमीशन्ड आफिसरों और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों में से व्यक्तियों का उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर सेवा में नियुक्ति के लिए चयन ऐसे विनियमों के अनुसार जैसे सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से समय-समय पर बनाए, आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षाओं के आधार पर किया जाना है।

ऊपर निर्दिष्ट प्रतियोगिता-परीक्षाओं की प्रक्रिया सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक

श्रेणी (आपात कमीशन्ड और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसर) (प्रतियोगितात्परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1971 में, जो कि इस समय बनाए जा रहे हैं, अधिकथित किए जा रहे हैं। चूंकि ऊपर वर्णित विनियम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसरण में बनाने अपेक्षित हैं और उक्त नियमों में ऐसे कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं हैं, इसलिए सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में भूतलक्षी तारीख से इस आशय के उपबन्ध बनाना आवश्यक है, ताकि उनके अनुसरण में सशस्त्र बलों में 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् कमीशन दिए गए निर्मुक्त आपात कमीशन्ड आफिसरों और अल्प कालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों में से व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगितात्परीक्षाएं संचालित करने के लिए प्रक्रिया विहित करने वाले विनियम बनाए जाएं।

प्रमाणित किया जाता है कि नियमों के भूतलक्षी संशोधन से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० फा० 988 31/2/सी० ए० ओ०/सी० पी० सी०]

S.R.O. 44.—In pursuance of sub-rule (3) of rule 11 of the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, namely:—

THE ARMED FORCES HEADQUARTERS CIVIL SERVICE SUPERINTENDENTS GRADE (EMERGENCY COMMISSIONED AND SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICERS) (APPOINTMENT BY COMPETITIVE EXAMINATION) REGULATIONS, 1971.

1. **Short title, commencement and duration.**—(1) These Regultions may be called the Armed Forces Headquarters Civil Service Superintendents' Grade (Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers) (Appointment by Competitive Examination) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall cease to be in force on and from the 29th January, 1971.

2. **Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "available vacancies" means the vacancies in the grade of Superintendent of the Service which, as determined by the Central Government in accordance with the extant orders, are to be filled by released Emergency Commissioned or Short Service Commissioned Officers;

(b) 'Examination' means a competitive examination for selection of released Emergency Commissioned or Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after the 1st November, 1962, for the purpose of filling vacancies in Class I and Class II of the All India and Central Services reserved for them, held at such intervals as the Central Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine;

(c) 'list' means the list of candidates prepared under regulation 8;

(d) 'release' means—

(i) release as per the scheduled year of release;

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service,

from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request;

(e) 'Scheduled Castes' and 'Scheduled Tribes' shall have the same meaning as are assigned to them in clauses (24) and (25) respectively, of article 366 of the Constitution;

(f) 'Scheduled year of release' means—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of five years as Short Service Commissioned Officers is to expire;

(g) 'Service rules' means the Armed Forces Headquarters Civil Service Rules, 1968.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Service rules shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. **Holding of Examination.**—(1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified by the Central Government from time to time.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. **Conditions of eligibility.**—In order to be eligible to compete at the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(i) *Nationality.*—(a) He must be a citizen of India;

or

(b) He must belong to such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Central Government.

(ii) *Age.*—He must not have attained the age of twenty four years on the 1st August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training):

Provided that an Emergency Commissioned Officer or a Short Service Commissioned Officer eligible to compete under the second proviso to clause (iii) shall not have attained on the date aforesaid, such upper age limit, not exceeding twenty four years, as the Central Government may, having regard to the circumstances of the case, specify in this behalf:

Provided further that the upper age limit may be relaxed in respect of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and such other categories of persons as may from time to time be notified in this behalf by the Central Government to the extent and subject to the conditions notified in respect of each category.

(iii) *Educational Qualifications.*—He must had hold a degree of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as an University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), or of a foreign University approved by the Central Government from time to time, or possess a qualification which has been recognised by the Central Government for the purposes of admission to the examination:

Provided that:—

(a) in certain cases, the Commission may treat as qualified a candidate who, though not possessing the qualifications prescribed in this clause, has passed examinations conducted by other institutions of a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination; and

(b) a candidate who is otherwise qualified but has taken a degree from a foreign University which is not recognised by the Central Government, may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

NOTE.—A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result, may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates shall be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional

and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the qualifying examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of the examination:

Provided further that an Emergency Commissioned Officer or a Short Service Commissioned Officer, who, when he appeared before a Services Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission or Short Service Commission in the Armed Forces, was studying in a recognised institution, that is to say, a University, or an institution affiliated to a University, for the award of the educational qualification prescribed for direct recruitment to the Service, but who, having discontinued his studies because of joining the Armed Forces did not acquire such qualification, shall be eligible to compete for the reserved vacancies in the Service.

5. **Number of times one can sit at an examination**—(1) No candidate shall be permitted to compete for more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in the year 1966:

Provided that a candidate who had not attained the age specified in sub-regulation (ii) of regulation 4 on the 1st August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces of the Union, but had attained that age on the 1st August of the year succeeding the year in which he joined the pre-Commission training, shall be permitted to compete only once at the examination.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects;

(2) Save as may be otherwise notified from time to time by the Central Government in the official Gazette.—

(i) a candidate who is eligible to take only one chance must take the examination held in the year preceding the year of his release;

(ii) a candidate who is eligible to take two chances must take the examinations held in the year preceding the year of his release and the year of his release.

6. **Disqualification for admission to examination**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for admission to the examination.

7. **Commission's decision to be final**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of the candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

8. **Commission to forward List of successful candidates.**—The Commission shall forward to the Government of India, in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel), a list arranged in order of merit, of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine, and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration; and the said list shall also be published for general information.

9. **Appointment of candidates.**—(1) Subject to the provisions of regulations 10, 11, 13 and 14, candidates shall be considered for appointment to the reserved vacancies in the order in which their names appear in the list.

(2) If on the results of the examination, sufficient number of qualified candidates is not available to fill the reserved vacancies, the unfilled vacancies shall be treated as unreserved and shall be filled on the results of the competitive examination referred to in the Third Schedule to the Service rules but a corresponding number of vacancies shall be carried forward to the next succeeding year:

Provided that no vacancies shall be carried forward beyond the 28th January, 1971. If the number of qualified candidates is greater than the number of vacancies reserved for the released Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list or lists for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year or years:

Provided further that the vacancies notified to the Commission for being filled by Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers on

the basis of an examination, the notice for which is issued before the 28th January, 1971, may be filled on the basis of the results of that examination even after the aforesaid date.

(3) The total number of vacancies reserved for the released Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers and for the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes under any rule or order for the time being in force shall not exceed in any year 50 per cent of the total number of vacancies to be filled in that year through the competitive examination and selection referred to in the Third Schedule to the Service rules.

10. **Reservation of vacancies to members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.**—(1) Available vacancies shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, in accordance with the orders issued by the Central Government in this behalf from time to time.

(2) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

11. **Disqualifications for appointment.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. **Candidates to be debarred from admission to examination, employment, etc. in certain circumstances.**—A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution:—

(a) be debarred either permanently or for a specified period:—

(i) by the Commission from admission to any examination or for appearing at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules governing them, if he is already in service under the Government.

13. **Candidates found medically unfit not to be appointed to Service.**—No candidate shall be appointed to the Service who after such medical examination, as the Central Government may prescribe, is not found to be in good mental or bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the Service.

14. **Power of Central Government to make enquiries with regard to the suitability of candidate for appointment.**—The inclusion of a candidate'c name in the list confers no right to appointment, unless the Central Government is satisfied, after such enquiry as it may consider necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

[File No. 99432/CAO(DPC.)I

D. K. BHATTACHARYA, Joint Secy.

का०नि०आ० 44:—सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 के नियम 11 के उपनियम (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, संघ लोकसेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्—

सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक ग्रेड (आपात कमीशन्ड और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसर) (प्रतियोगिता-परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1971

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अस्तित्वावधि:**—(1) ये विनियम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक ग्रेड (आपात कमीशन्ड और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसर) (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये 29 जनवरी, 1971 को और से प्रवृत्त न रहेंगे।

2. **परिभाषाएं** :—(1) विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'उपलब्ध रिक्तियों' से सेवा के अधीक्षक ग्रेड की वे रिक्तियां अभिप्रेत हैं जो विद्यमान आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित, निर्मोचित आपात कमीशन्ड या अल्पकालिक-सेवा कमीशन्ड आफिसरों द्वारा भरी जानी है ;

(ख) 'परीक्षा' से निर्मोचित आपात कमीशन्ड या अल्पकालिक-सेवा कमीशन्ड आफिसरों के चयन के लिए जिन्हे अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं (वर्ग I और वर्ग II) में उनके लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के प्रयोजनार्थ 1 नवम्बर, 1962 के पश्चात् सशस्त्र बल में कमीशन दिया गया था, ऐसे अन्तरालों पर जैसे केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे, आयोजित कोई प्रतियोगिता-परीक्षा अभिप्रेत है ;

(ग) 'सूची' से विनियम 8 के अधीन तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची अभिप्रेत है

(घ) 'निर्मुक्ति से कुछ सेवाकाल के पश्चात सशस्त्र बलों से

(i) निर्मुक्ति के अनुसूचित वर्ष के अनुसार निर्मुक्त ;

(ii) सैनिक सेवा के द्वारा हुई मानी जाने वाली या गुरुतर हुई किसी निर्योग्यता के फलस्वरूप आशक्तता अभिप्रेत है

किन्तु इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण के दौरान या अन्त में; अथवा वास्तविक रूप से सेवा में लिये जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को पूरा करने के लिए मंजर अल्पकालिक-सेवा कमीशन के दौरान या अन्त में नही और न ही अवचार, या, अदक्षता, या उनकी अपनी प्रार्थना पर निर्मोचित आफिसरों के मामले इसके अन्तर्गत हैं ;

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में क्रमशः उन्हे दिये गये हैं ;

(च) "निर्मुक्ति का अनुसूचित वर्ष" से

(i) जहां तक उसका सम्बन्ध आपात कमीशन्ड आफिसरों से है, वह वर्ष अभिप्रेत है जिसमें वे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रक्रमित कार्यक्रम के अनुसार निर्मुक्त किये जाने हैं, और

(ii) जहां तक उनका सम्बन्ध अल्पकालिक-सेवा कमीशन्ड आफिसरों से है, वह वर्ष अभिप्रेत है जिसमें अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों के रूप में उसकी 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होने वाली है ।

(छ) 'सेवा-नियम' से सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 अभिप्रेत है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों और पदों, जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं बल्कि सेवा-नियमों में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में उन्हें क्रमशः दिये गये हैं ।

3. **परीक्षा आयोजित करना**—(1) आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति में आयोजित की जाएगी ।

(2) जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जानी हो वे, आयोग द्वारा नियत किए जाएं ।

4. **पात्रता की शर्तें** : परीक्षा में प्रतियोगिता करने के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्न-लिखित शर्तें पूरी करनी चाहिएं, अर्थात्—

(i) **राष्ट्रिकता** : (क) वह भारत का नागरिक होना चाहिए ;

अथवा

(ख) वह ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग का होना चाहिए जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचित किये जाएं ।

(ii) **आयु** : वह उस वर्ष की 1 अगस्त को 24 वर्ष की आयु का न हुआ हो जिसमें उसने सशस्त्र बल में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण लिया था या कमीशन प्राप्त किया था (वहां जहां कि केवल कमीशनोत्तर प्रशिक्षण था) : परन्तु खंड (iii) के दूसरे परन्तुक के अधीन प्रतियोगिता करने के पात्र किसी आपात कमीशन्ड आफिसर या किसी अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसर ने पूर्वोक्त निश्चायक तारीख को, 24 वर्ष से अनधिक ऐसी अधिकतम आयु-सीमा, जो केन्द्रीय सरकार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पूरी न की हो,

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और ऐसे अन्य व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर अधिसूचित किये जाएं, अधिकतम आयु-सीमा प्रत्येक प्रवर्ग की बाबत अधिसूचित शर्तों की सीमा तक और उनके अधीन रहते हुए, शिथिल की जा सकेगी ।

(iii) **शैक्षिक अर्हताएं** : उसके पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालयों के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षिक संस्थानों की अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि होनी चाहिए, अथवा वह ऐसी अर्हता रखता हो जिसे परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई हो ;

परन्तु :—

(क) कतिपय स्थितियों में आयोग उस अभ्यर्थी को जो यद्यपि इस खंड में विहित अर्हता न रखता हो तथापि जिसने किसी स्तर को जो आयोग की राय में परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराता हो अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों, अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी मान सकेगा; और

(ख) उस अभ्यर्थी को भी, जो अन्यथा अर्हित हो, किन्तु जिसने किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

टिप्पण :— वह अभ्यर्थी जो ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके उत्तीर्ण करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाए, किन्तु जिसे परीक्षाफल की सूचना नहीं दी गई हो, परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन दे सकेगा । वह अभ्यर्थी भी जो ऐसी किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का आशय रखता है आवेदन दे सकेगा परन्तु तभी जब कि अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व समाप्त हो चुकी हो । यदि ऐसे अभ्यर्थी अन्यथा उसके पात्र हैं, तो उन्हें परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा किन्तु उनके प्रवेश को अनन्तिम और रद्दीकरण के अध्यधीन समझा जाएगा यदि वे यथाशक्यशीघ्र और किसी भी दशा में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने के दो मास पश्चात् तक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते :

परन्तु यह और कि कोई आपात कमीशन्ड आफिसर या कोई अल्प-कालिक सेवा कमीशन्ड आफिसर जो जब वह सशस्त्र बल में आपात कमीशन या अल्प-कालिक सेवा कमीशन की मंजूरी के लिए सेवा चयन बोर्ड के समक्ष एक अभ्यर्थी के रूप में उपसंज्ञात हुआ था, सेवा में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था में अर्थात् किसी विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्था में अध्ययन कर रहा था, किन्तु जिसने सशस्त्र बल में आने के फलस्वरूप अपना अध्ययन रोक देने के कारण ऐसी अर्हता अर्जित नहीं की वह सेवा में आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा ।

5. **परीक्षा में एक व्यक्ति कितनी बार बैठ सकता है** :— (1) कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में दो बार से अधिक प्रतियोगिता करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । यह निर्बन्धन 1966 में आयोजित परीक्षा से प्रभावशील होगा : परन्तु ऐसे अभ्यर्थी को जो उस वर्ष के 1 अगस्त को जिसमें वह संघ के सशस्त्र बलों में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में शामिल हुआ था विनियम 4 के उपविनियम (ii) में विनिर्दिष्ट आयु का नहीं हुआ था किन्तु उस वर्ष के जिसमें वह कमीशन-पूर्व के प्रशिक्षण में शामिल हुआ था, उत्तरवर्त्ती वर्ष के । अगस्त को उस आयु का हो गया था, परीक्षा में प्रतियोगिता करने के लिए केवल एक ही बार अनुज्ञात किया जाएगा ।

टिप्पण : यदि अभ्यर्थी वस्तुतः किसी एक या एकाधिक विषयों की परीक्षा दे देता है, तो उसे परीक्षा में प्रतियोगिता किया हुआ समझा जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में समय-समय पर जैसा अन्यथा अधिसूचित के सिवाय—

(i) उस अभ्यर्थी को जो केवल एक अवसर लेने का पात्र है अपनी नियुक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में आयोजित परीक्षा में बैठ चुका होना चाहिए ;

(ii) उस अभ्यर्थी को, जो दो अवसर लेने का पात्र है, अपनी नियुक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में या अपनी नियुक्ति के वर्ष में आयोजित परीक्षा में बैठ चुका होना चाहिए ।

6. **परीक्षा में प्रवेश के लिए निरर्हता** :— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थी के लिए किन्हीं साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किये गये किसी प्रयत्न को आयोग द्वारा उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए निरर्हित करने वाला अभिनिर्धारित किया जा सकेगा ।

7. **आयोग के विनिश्चय का अन्तिम होना** :—परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

8. **आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की सूचना अग्रेषित करना** :—आयोग भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय को उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तरों द्वारा अर्हित हो गये है जिन्हें आयोग अवधारित करे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने यद्यपि उस स्तर द्वारा अर्हता प्राप्त नहीं की है फिर भी जो आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दिए गए है, गुणाधार पर तैयार की गई एक सूची अग्रेषित करेगा और उक्त सूची साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी ।

9. **अभ्यर्थियों की नियुक्तियां** :— (1) विनियम 10, 11, 13 और 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामों के क्रमानुसार आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उन पर विचार किया जाएगा ।

(2) यदि परीक्षाफल आने पर आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अर्हित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो बिना भरी हुई रिक्तियों को अनारक्षित माना जाएगा और उन्हें सेवा-नियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफलों के आने पर भरा जाएगा किन्तु रिक्तियों की तत्समान संख्या को आगामी उत्तरवर्ती वर्ष में अग्रेषित कर दिया जाएगा :

परन्तु कोई भी रिक्तियां 28 जनवरी 1971 से आगे अग्रेषित नहीं की जाएंगी । यदि अर्हित अभ्यर्थियों की संख्या निर्मोचित आपात कमीशन्ड और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो उनके नाम जो नियुक्त नहीं किए गए है, उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में से नियुक्ति के लिए परीक्षा-सूची या सूचियों में रखे जाएंगे ।

परन्तु यह और कि परीक्षा के आधार पर आपात कमीशन्ड आफिसरों और अल्प-कालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों द्वारा भरी जाने के लिए आयोग को अधिसूचित की गई रिक्तियों जिसकी सूचना 28 जनवरी 1971 से पूर्व जारी कर दी गई है उस परीक्षा के परीक्षाफलों के आधार पर पूर्वोक्त तारीख के पश्चात् भी भरी जा सकेगी ।

(3) निर्मोचित आपात कमीशन और अल्पकालिक सेवा कमीशन्ड आफिसरों के लिए तथा तत्समय प्रवृत्त किसी नियम या आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या किसी भी वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा और सेवा-नियम की तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट चयन के माध्यम से उस वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

10. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए रिक्तियों का आरक्षण** :—

(1) उपलब्ध रिक्तियां उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाएगी जो सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य हैं ।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए जो अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य हैं उन पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार किया जाएगा; जिसमें अन्य अभ्यार्थियों की तुलना में उनके सापेक्षिक पंक्ति के होते हुए भी उनके नाम सूची में दिये हुए हैं ।

11. **नियुक्ति के लिए निरर्हता** वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं ; तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

12. **कतिपय परिस्थितियों में परीक्षा नियोजन आदि में प्रवेश देने से विवर्जित किये जाने वाले अभ्यर्थी** :—जो अभ्यर्थी प्रति रूपण या गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिन्हें बिगाड़ा गया है प्रस्तुत करने या ऐसे कथन जो गलत है या झूठे हों करने या तात्विक सूचना को दबाने या परीक्षा भवन में अऋजु साधन प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करने या परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश अभिप्राप्त करने के लिए अन्य कि हीं अनियमित या अनुचित साधनों का आश्रय लेने का दोषी है, या आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, वह आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त —

(क) या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए —

(i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश से या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग द्वारा, और अपने अधीन के नियोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विवर्जित किया जा सकेगा ।

(ख) यदि वह पहले ही सरकार के अधीन सेवा में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई के दायित्वाधीन हो सकेगा ।

13. **चिकित्सीय दृष्टि से अयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों को सेवा में नियुक्त न किया जाना** :- ऐसा कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् जैसी केन्द्रीय सरकार विहित करे, अच्छे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में और सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप के लिए संभाव्य किसी मानसिक या शारीरिक दोष से युक्त पाया गया है ।

14. **नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता की जांच करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :—** सूची में किसी अभ्यर्थी के नाम का समावेश उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करता है जब तक कि केन्द्रीय सरकार का समाधान नहीं हो जाता है कि वह अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

[सं० फा० 99432/सी० ए० ओ० (डी० पी० सी०)]

डी० के० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971